संख्या:73/2020/1795 ई-2/तेरह-2020-87/2016

प्रेषक

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गौतमबुद्धनगर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 04 सितम्बर, 2020

विषय:- मैसर्स विन्नीज रेस्टोरेन्ट प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालय-1806 भागीरथ प्लेस दिल्ली द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट ''मिस्ट्री ऑफ साउन्ड'' शाप नं. सी-1 एण्ड सी-2बी द्वितीय तल, गार्डन गलेरिया मॉल, सेक्टर-38ए नोएडा, गौतमबुद्धनगर को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को संबोधित अपने पत्र संख्या-132/11/आबकारी/एफ.एल.-7 बार/गौतमबुद्धनगर, दिनांक 24.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24.09.2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की रिपोर्ट दिनांक 12.09.2019 में की गई संस्तुति तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी.-126/दस-लाइसेंस-64/एफ.एल.-6-7/मिनि ऑफ साउन्ड/बार अनु./नोयडा, दिनांक 01.10.2019 एवं पत्र संख्या-जी.-50/दस-लाइसेंस-64/एफ.एल.-6-7/मिनिस्ट्री ऑफ साउन्ड/बार अनु./नोयडा, दिनांक 19.08.2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति के दृष्टिगत मैसर्स विन्नीज रेस्टोरेन्ट प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालय-1806 भागीरथ प्लेस दिल्ली द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट ''मिस्ट्री ऑफ साउन्ड'' शाप नं. सी-1 एण्ड सी-2बी द्वितीय तल, गार्डन गलेरिया मॉल, सेक्टर-38ए नोएडा, गौतमबुद्धनगर को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में अग्निशमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में रहेंगे तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनापित्त में दी गई शर्तों का इकाई द्वारा पालन किया जायेगा। साथ ही प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं हैंड हेल्ड मेटल डिटैक्टर से सुसज्जित सुरक्षाकर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

संख्या-73/2020/1795(1)ई-2/तेरह-2020 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी.-50/दस-लाइसेंस-64/एफ.एल.-6-7/मिनिस्ट्री ऑफ साउन्ड/बार अनु./नोयडा, दिनांक 19.08.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in